

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ राज. जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/बी-23/2019/

दिनांक:-

संशोधन आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक नर्सिंग/नर्स-2(F)/बी-23/2019/36 दिनांक 08.01.19 के द्वारा श्रीमती बबली प्रजापति, नर्स-2 (परिवीक्षाधीन) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रावतभाटा, चित्तौड़गढ़ का 87 दिवस का असाधारण अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए 87 दिवस के स्थान पर 77 दिवस पढा जावें ।
शेष यथावत ।



(मुकुल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/बी-23/2019/450

दिनांक:- 4/4/19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ ।
2. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, रावतभाटा, चित्तौड़गढ़ ।
3. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी ।
4. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि विभागीय वेबसाइट पर आदेश अपलोड करें ।
5. आदेश/निजी पत्रावली ।



(मुकुल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर